IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

चुनावी सुधार और समावेशी राजनीति

MANISH KUMAR

Research Scholar (Ph.D.), Department of Political Science,

Mahatma Gandhi Central University, (Motihari), Bihar

सारांश (Abstract)

एक जीवंत लोकतंत्र के लिए, यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिकों को जनप्रतिनिधि चुना जाए। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही सकारात्मक वोट पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि करता है। एक जीवंत लोकतंत्र में, मतदाता को उम्मीदवारों को चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनावों में अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करेगा।

वर्तमान स्थिति के लिए हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली शून्य में काम कर रही है? विशेषज्ञों के अनुसार, इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समाज और उसकी प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। यह वह जगह है जहाँ चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिक जनप्रतिनिधि चुने जाएं। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि करता है। लोकतंत्र की इस प्रणाली में, मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करेगा। कोई भी लोकतंत्र इस विश्वास पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो निर्वाचित लोगों की गुणवत्ता और प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है।

इस लेख में, न केवल चुनावी प्रणाली की दरार और कमियों पर चर्चा की जाएगी, बल्कि चुनावी सुधारों की दिशा में, प्रगति के काम को छद्म आवरण से बाहर किया जाएगा और एक ठोस समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

शब्द कुंजी (Keywords) – लोकतंत्र, सुशासन, जनप्रतिनिधि, मतदाता, राजनीतिक व्यवस्था – प्रणाली, भारतीय संविधान एवं चुनावी सुधार

कार्यप्रणाली (Methodology) –

इस लेख में डेटा संग्रह मूल रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से किया गया है।

उद्देश्य (Purpose) –

उम्मीद है कि चुनावी सुधार नागरिकों को चुनावी प्रथाओं में नागरिकों की बेहतर भागीदारी, भ्रष्टाचार को कम करने और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देंगे। और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इन तथ्यों को खोजने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना (Introduction) –

भारत में स्वच्छ लोकतंत्र और स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, चुनावी सुधार का मामला लंबे समय से रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 - 329 चुनाव आयोग और चुनाव सुधार की बात करता है। मुख्य रूप से दुर्भावनापूर्ण लोगों और बुरी गतिविधियों को दूर करने के लिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। कोई इसकी आवश्यकता को इस प्रकार समझा सकता है[1, 2]:

1. राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के कारण भारत के चुनाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।
2. भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं।
3. क्षेत्र के अनुसार, दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश में चुनाव कराना और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश एक बहुत ही जटिल कार्य है।
4. इस प्रक्रिया में शहरों, कस्बों, गांवों और इलाकों में लाखों मतदान कर्मी, पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं।
5. आयोग गुजरात के गिर फॉरेस्ट में भी मतदान केंद्र स्थापित करता है जहां शेरों का घूमना आम है।
6. चुनाव आयोग के सामने भी एक सुखद चुनौती है, अब अधिक से अधिक महिलाएं मतदान के लिए आगे आ रही हैं।
7. महिलाओं ने 2014 के चुनाव में आधे राज्यों के मतदान केंद्रों में पुरुषों को हराया। इस चुनाव में, लगभग 65% महिला मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग करके इतिहास बनाया।
8. इसका मतलब है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार युवा मतदाताओं का दिल और दिमाग जीतने के लिए नई तकनीक और सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे।
9. इन प्लेटफार्मों के संभावित दुरुपयोग को रोकना चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आदि।

चुनाव प्रक्रिया को दिन की स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए और समकालीन समाज पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

1. राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए।
2. सरकारी तंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए।
3. चुनाव प्रक्रियाओं में धन और मांसपेशियों की शक्ति को हतोत्साहित करना।
4. चुनाव में - गंभीर उम्मीदवारों को निराश करने के लिए।
5. चुनाव प्रक्रिया तटस्थ होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त।
6. चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति नागरिकों में विश्वास बढ़ाना।
7. चुनाव प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और आज के तरीकों के अनुरूप होना।

लोकसभा 2019 चुनावों में यह आंकड़ा सामने आया है कि 543 निर्वाचित सदस्यों में से 233 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 2009 के बाद से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में यह 44 प्रतिशत की वृद्धि है।

आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की संसद में बड़ी संख्या में अपराधी कैसे पहुंच रहे हैं और सभी संवैधानिक संस्थान सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। इसलिए, यह समय की जरूरत है कि भारतीय राजनीति में धन बाहुबल और धन के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं ताकि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में "लोगों की प्रणाली" बनाया जा सके।

स्वच्छ चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसी स्थिति में, महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक वातावरण से मुक्त हो सके और विकास और समृद्धि की ओर बढ़ सके[3, 4]. -

सन् 2000 से पहले के सुधार

1. मतदान की आयु कम हुई

- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी, कर्मचारी को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
- इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे।
- नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा किया गया।

2. ईवीएम का प्रचलन में आना

- इस फेज़ में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।
- बूथ कैप्चरिंग पर चुनाव को शून्य घोषित करना निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव या कांउटर चुनाव की तारीख का एलान करना।
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना।
- राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिये प्रस्तावों की संख्या को 50 किया गया।
- दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव का स्थगित न होना।
- पारंपरिक मतदान हालाँकि इन्हीं लक्ष्यों में से कई को पूरा करता था पर बढ़ता हुआ फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याओं ने जिस तरह से लोकतंत्र को आहत किया था उसे देखते हुए ये सुधार ज़रूरी हो गए थे।
- अतः सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरू और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को तैयार और डिज़ाइन किया गया।
- ईवीएम का पहला व्यापक उपयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था।
- 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में ईवीएम ने बड़ी भूमिका निभाई। ईवीएम व्यवस्था न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इससे सरकारी धन और वक्त की भी बचत होती है।
- मई 1982 में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इन मशीनों का उपयोग 1983 के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नहीं किया जा सका।
- इस फैसले के मुताबिक, चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिये कानूनी सहमति ज़रूरी थी।
- दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयोग को ईवीएम मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया।
- संशोधित प्रावधान 15 मार्च, 1989 से लागू हो गए।

पिंक बूथ क्या है?

- चुनाव आयोग ने 2018 में सुधारों के तहत एक और नवीन प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिये प्रेरित करना।
- इन पोलिंग बूथों पर तैनात सभी कर्मचारी जिनमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं, सभी महिलाएँ होती हैं, यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी भी महिलाएँ होती हैं।
- मतदान केंद्रों को गुलाबी रंगों में सजाया जाता है और कर्मचारियों को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। इन बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया जाता है।

सन् 2000 के बाद का चुनाव सुधार

1. एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्ज़िट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्ज़िट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकता है।

2. चुनावी खर्च पर सीलिंग

- लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख कर दिया गया है वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख तक है।

3. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान

- सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।
- विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।

4. जागरूकता और प्रसार

- युवा मतदाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला 2011 से शुरू हुआ।
- 20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की चुनाव आयोग को जानकारी देना।

5. नोटा

- 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना। नोटा को एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है - "उपरोक्त में से कोई नहीं" यानी "नन ऑफ द एबव"।
- यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पंसद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है।
- पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन इससे मतदाता के वोट आफ सिक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुँचता था।
- 27 सितंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा की शुरुआत करने का निर्देश दिया ताकि मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। लेकिन नोटा का चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ता।
- 2013 से 2016 के बीच हुए विभिन्न राज्यों के संघीय चुनाव में नोटा के तहत औसतन 2 प्रतिशत वोट पड़े।
- निर्वाचकों के लिये कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी-डुप्लीकेशन तकनीक लाना। मतदान प्रक्रिया की विडियों रिकॉर्डिंग कराना।
- आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, इससे चुनाव के दिन अब हर मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है।
- जीपीएस का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सुधार के फैसले

01. कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में कैद है, चाहे कारावास की सजा या परिवहन या अन्यथा, या पुलिस की वैध हिरासत में

मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम जन चौकीदार (पीपुल्स वाच) & ... आन 10 जुलाई 2013 [5] –

पारा 2. बहुत संक्षेप में तथ्य यह है कि संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोगों के घर और हर राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो इस तरह की तारीख पर अठारह वर्ष से कम की उम्र नहीं है, जो उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा तय की जा सकती है और अन्यथा संविधान के तहत अयोग्य नहीं है या गैर विधायी आधार पर उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून नहीं है। निवास, मन की बेईमानी, अपराध या भ्रष्ट या अवैध अभ्यास, इस तरह के किसी भी चुनाव के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार संविधान में, संसद ने लोगों के सदन और हर राज्य की विधान सभा के लिए ऐसे चुनावों में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून , 1950 (संक्षिप्त '1950 अधिनियम') लागू किया है और इसे अधिनियमित भी किया है संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए चुनावों के संचालन के लिए लोक अधिनियम , 1951 (संक्षेप में '1951 अधिनियम') का प्रतिनिधित्व।

पारा 3. शब्द "निर्वाचक" 1951 अधिनियम में परिभाषित किया गया है निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक व्यक्ति जिसका नाम उस समय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज किया गया है, जो समय के लिए लागू होता है और जो किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है, जिसका उल्लेख किया गया है। 1950 अधिनियम की धारा 16 (1) (सी) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह समय से भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों के तहत चुनावों के साथ मतदान से अयोग्य घोषित किया जा रहा है।

पारा 4. 1951 अधिनियम की धारा 4 लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं पूरी करती है और निर्धारित योग्यताओं में से एक यह है कि उसे किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए "निर्वाचक" होना चाहिए। इसी प्रकार, 1951 अधिनियम की धारा 5 में किसी राज्य की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएँ निर्धारित होती हैं और निर्धारित योग्यताओं में से एक यह है कि उसे उस राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए "निर्वाचक" होना चाहिए। 1951 के अधिनियम की धारा 62 शीर्षक "वोट देने का अधिकार" है और यह उप-धारा (5) में प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में कैद है, चाहे कारावास की सजा या परिवहन या अन्यथा, या पुलिस की वैध हिरासत में। 1951 अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (5) के अनंतिम , हालांकि, यह बताता है कि उप-धारा किसी भी कानून के तहत निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो समय के लिए लागू हो।

पारा 5. 2004 की CWJC No.4880 और 2004 की CWJC No.4988 की रिट याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गईं, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति, जो जेल में कैद है, चाहे वह कारावास या परिवहन की सजा के तहत हो या अन्यथा पुलिस की वैध हिरासत 1951 अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (5) के आधार पर वोट देने की हकदार नहीं है और तदनुसार "निर्वाचक" नहीं है और इसलिए, वह लोगों के घर या चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। 1951 के अधिनियम की धारा 4 और 5 में प्रावधानों के कारण किसी राज्य की विधान सभा । प्रचलित सामान्य आदेश से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं में इस विवाद को स्वीकार कर लिया: - "वोट का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, कानून इसे देता है, कानून इसे दूर ले जाता है। अपराध के दोषी व्यक्तियों को चुनाव से विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या संसद और अन्य सभी सार्वजनिक चुनावों से दूर रखा जाता है। न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और इसके तहत बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने में कोई हिचक नहीं है, एक साथ पढ़ें, कि पुलिस की वैध हिरासत में व्यक्ति भी मतदाता नहीं होंगे, जिस स्थिति में, वे न तो निर्वाचक होंगे। कानून अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को चुनावी परिदृश्य के पास कहीं भी ले जाता है। वोट देना एक वैधानिक अधिकार है। यह वोट देने का विशेषाधिकार है, कौन सा विशेषाधिकार छीना जा सकता है। उस स्थिति में, निर्वाचक योग्य नहीं होगा, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में हो। नाम पर प्रहार नहीं किया गया है, लेकिन एक निर्वाचक होने की योग्यता और पुलिस की वैध हिरासत में होने पर मतदान करने का विशेषाधिकार।"

पारा 6. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से दुखी होकर अपीलकर्ताओं ने ये अपीलें दायर की हैं। हम पार्टियों के लिए सीखा वकील सुना है और हम किये गये कि रद्द आम आदेश में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं मिल रहा है कि एक व्यक्ति जो की उप-धारा (5) के प्रावधानों के आधार पर वोट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है धारा 1951 अधिनियम का 62 एक निर्वाचक नहीं है और इसलिए यह किसी राज्य के लोगों या विधान सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है।

02. सांसदों, विधायकों को आपराधिक दोष सिद्ध होने की तिथि पर अयोग्य ठहराया जाना

Lily Thomas vs Union of India & Ors with Lok Prahari vs Union of India & Ors., 2013 SC 490, 231 (10 जुलाई, 2013 को) [6]. - में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (RPA) की धारा 8 (4) घोषित की, जिसमें विधायकों को उनके खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने की अनुमति दी गई । जब तक कि, इस तरह की अपीलों को समाप्त नहीं कर दिया जाता (उनकी अयोग्यता में देरी के कारण) अथवा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक, सजा - प्रभावी रूप से लागु होगा अथवा बना रहेगा ।

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8, 1951 में कुछ अपराधों के लिए सजा पर अयोग्यता से संबंधित है: किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध का दोषी पाया गया और धारा 8 (1) (2) और (3) के तहत अलग-अलग शर्तों के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। उनकी रिहाई के बाद से छह साल की अवधि के लिए सजा की तारीख और अयोग्य घोषित किया जाएगा।

लेकिन **जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4)** सांसदों और विधायकों को सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि तीन महीने के भीतर अपील दायर होने पर वे सजा के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं।

बेंच ने यह असंवैधानिक पाया कि दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन एक बार निर्वाचित होने पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य बने रह सकते हैं।

अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के लिए चुनौती की सराहना करने के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि के तथ्य यह हैं कि संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय कुछ व्यक्तियों को चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया है, और एक सदस्य होने के नाते। संसद के किसी भी सदन के साथ ही राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य। तदनुसार, संविधान में जो संविधान सभा द्वारा अंततः अपनाया गया था, अनुच्छेद 102 (1) ने संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता रखी और अनुच्छेद 191 (1) राज्य की विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता रखी । ये दो लेख यहां दिए गए हैं:-

अनुच्छेद 102. सदस्यता के लिए अयोग्यता - (1) किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(क) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित किसी अन्य कार्यालय के अलावा, उसके धारक को अयोग्य ठहराने के लिए नहीं;

(ख) यदि वह अयोग्य मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है;

(ग) यदि वह एक अविभाजित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है;

(ड़) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए या किसी कानून के तहत इतना अयोग्य है।

अनुच्छेद 191. सदस्यता के लिए अयोग्यता - (1) किसी व्यक्ति को राज्य के विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा-

(क) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के अलावा किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई कार्यालय रखता है, तो उसके धारक को अयोग्य ठहराने के लिए कानून द्वारा नहीं;

(ख) यदि वह अयोग्य मन का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है;

(ग) यदि वह एक अविभाजित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है;

(ड़) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए या किसी कानून के तहत इतना अयोग्य है।

[**स्पष्टीकरण** — इस खंड के प्रयोजनों के लिए], किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के लिए नहीं समझा जाएगा जो पहली अनुसूची में केवल इस कारण से निर्दिष्ट है कि वह मंत्री है संघ या ऐसे राज्य के लिए।

संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) में रखी गई अयोग्यता के अलावा, संसद संसद के किसी भी सदन या सदन की सदस्यता के लिए कानून द्वारा अन्य अयोग्यता का निर्धारण कर सकती है। राज्य की विधान सभा या विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के तहत प्रदत्त इस शक्ति के प्रयोग में , संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय- III में (लघु के लिए) अधिनियम प्रदान किया, संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता।

न्यायालय के निष्कर्ष

जैसा कि **हरला बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1951 SC 467)** में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है : - "..... .. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा कि किसी राज्य के विषयों को उन कानूनों से दंडित या दंडित किया जाए जिनके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था और जिनमें से वे उचित परिश्रम के अभ्यास के साथ भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। । " हालाँकि, यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अधिनियम की धारा 8 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) में उल्लिखित किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और इस तरह की सजा और / या के आधार पर वाक्य धारा 8 के उप-वर्गों (1), (2) और (3) में उल्लिखित अयोग्यताओं से ग्रस्त है इस निर्णय की घोषणा के बाद, संसद या राज्य विधानमंडल की उसकी सदस्यता, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) द्वारा बचाया नहीं जा सकेगा, जो हमारे पास इस निर्णय द्वारा घोषित है अल्ट्रा वायर्ड संविधान के बावजूद कि वह अपील दायर करता है और सजा और / या सजा के खिलाफ संशोधन करता है।"

हम सबसे पहले इन रिट याचिकाओं में हमारे सामने उठाए गए मुद्दे को तय करेंगे कि संसद के पास अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) को अधिनियमित करने के लिए विधायी शक्ति का अभाव था क्योंकि यह मुद्दा इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा बिल्कुल भी नहीं माना गया था। प्रभाकरण (सुप्रा) का उपरोक्त मामला। द एम्प्रेस बनाम बुराह और एक अन्य [(1878) 5 में I.A. 178] प्रिवी काउंसिल ने सेलबॉर्न जे के माध्यम से बात करते हुए भारतीय विधानमंडल की शक्तियां बिछाने वाले लिखित संविधान की व्याख्या के लिए निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया :- "भारतीय विधानमंडल के पास शाही संसद के अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से सीमित शक्तियां हैं जिन्होंने इसे बनाया; और यह, निश्चित रूप से, इन शक्तियों को प्रसारित करने वाली सीमाओं से परे कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन, जब इन सीमाओं के भीतर अभिनय करते हैं, तो यह किसी भी मायने में इम्पीरियल संसद का एजेंट या प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि संसद की कानून के रूप में, बड़े पैमाने पर और समान प्रकृति की पूर्ण शक्तियों के लिए होता है, अपने आप।"

न्याय की स्थापित अदालतें, जब एक प्रश्न उठता है कि क्या निर्धारित सीमाएं पार हो गई हैं, तो आवश्यकता उस प्रश्न को निर्धारित करती है; और जिस तरीके से वे ठीक से ऐसा कर सकते हैं, वह साधन की शर्तों को देखते हुए, जिससे, सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियां बनाई गई थीं, और जिसके द्वारा, नकारात्मक रूप से, वे प्रतिबंधित हैं। यदि जो

किया गया है वह सकारात्मक शब्दों के सामान्य दायरे के भीतर कानून है जो शक्ति देते हैं, और यदि यह बिना किसी व्यक्त शर्त या प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, जिसके द्वारा वह शक्ति सीमित है (किस श्रेणी में, निश्चित रूप से, किसी भी अधिनियम को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ विचलन पर इम्पीरियल पार्लियामेंट), यह किसी भी न्यायिक न्यायालय के लिए नहीं है कि वह आगे पूछताछ करे, या रचनात्मक रूप से उन शर्तों और प्रतिबंधों को बढ़ाए। " लिखित संविधान की व्याख्या के संबंध में पूर्वोक्त सिद्धांतों की शुद्धता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (AIR 1973 SC 1465) के बहुमत से न्यायाधीशों द्वारा फिर से पुष्टि की गई है इसलिए, जब यह सवाल उठाया जाता है कि क्या संसद ने अपनी शक्तियों की सीमा को पार कर लिया है, तो अदालतों को उस उपकरण की शर्तों को देखकर सवाल का फैसला करना होगा जिसके द्वारा सकारात्मक रूप से, विधायी शक्तियां बनाई गई थीं, और जिसके द्वारा नकारात्मक रूप से, वे प्रतिबंधित हैं।

उपरोक्त घोषणा के साथ, रिट याचिकाओं की अनुमति है। कोई खर्च नहीं।

निष्कर्ष और सिफारिशें (Conclusion & Recommendations)

"सतत सुरक्षा स्वतंत्रता का मूल्य है; शक्ति कभी भी कोई नहीं चुराती है। लोकप्रिय स्वतंत्रता के मंत्र को हर दिन इकट्ठा किया जाना चाहिए। आज का जीवित रहना कल के मृत चीर को उखाड़ फेंकता है। पावर हैंड्स को मानव के साथ सौंपा गया है। लोगों के आवश्यक शत्रु बन जाते हैं। केवल निरंतर निरीक्षण के द्वारा ही कार्यालय में मौजूद लोकतांत्रिक लोगों को निराशा में कठोर होने से रोका जा सकता है; केवल आंतरायिक आंदोलन से ही लोग भौतिक हो सकते हैं; भौतिक समृद्धि में स्वतंत्रता का उल्लंघन न होने देने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत हो सकते हैं। "

वर्तमान स्थिति के लिए हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली शून्य में काम कर रही है? विशेषज्ञों के अनुसार, इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समाज और उसकी प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। यह वह जगह है जहाँ चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिक जनप्रतिनिधि चुने जाएं। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि करता है। लोकतंत्र की इस प्रणाली में, मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करेगा। कोई भी लोकतंत्र इस विश्वास पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो निर्वाचित लोगों की गुणवत्ता और प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है।[7, 8]

स्वच्छ चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसी स्थिति में, महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक वातावरण से मुक्त हो सके और विकास और समृद्धि की ओर बढ़ सके।[9]

अनुशंसाएँ/ सिफारिशें (Recommendations)[10]

स्वच्छ चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसी स्थिति में, महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक वातावरण से मुक्त हो सके और विकास और समृद्धि की ओर बढ़ सके -

1. चुनावों के दौरान, धर्मगुरुओं की यात्रा और धार्मिक नारे लगाने से रोका जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
2. पेड न्यूज और फर्जी खबरों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। वे जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसका असर चुनावों पर पड़ता है।
3. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए एक आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है।
4. 'वन नेशन वन इलेक्शन' के मुद्दे पर व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है।
5. यह आशा की जाती है कि चुनावी सुधार, नागरिकों की चुनावी प्रथाओं में बेहतर भागीदारी, भ्रष्टाचार को कम करने और भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

यह आशा की जा सकती है कि चुनाव सुधारों से नागरिकों की चुनावी प्रथाओं में बेहतर भागीदारी, भ्रष्टाचार को कम करने और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान मिलेगा।

संदर्भ (References)

1. पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों से सफाई के लिए कहा, चुनाव सुधारों का आह्वान, इंडिया टुडे (31/12/2016), पर उपलब्ध है [https://indiatoday.intoday.in/story/pm-modi-new-year-speech-demonetisation-black-money/1/846893.html] ।
2. गोस्वामी समिति की रिपोर्ट (1990) की सिफारिश & तारकुंडे समिति की रिपोर्ट (1973) & भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार, रिपोर्ट संख्या 255: चुनावी सुधार, 2015, https://Lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report255.pdf, 2015, पर उपलब्ध।
3. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, चुनाव की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र- कानून, प्रक्रियाएं और सुधार विकल्प, वॉल्यूम- 2, 481 (2002), lawmin.nic.in/ncrwc/finalreport/v2b1-9 पर उपलब्ध है।
4. Association for Democratic Reforms v. Union of India and Anr., AIR 2000 Delhi 126, 2000; (57) DRJ 82.
5. बेंच: पटनायक ए.के., मुखोपाध्याय सुधांशु ज्योति; [निर्णय - इन सिविल अपीलों को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।] निर्णय की तिथि - 10 जुलाई, 2013; नई दिल्ली ।
6. Writ Petition (Civil) No. 490 of 2005; Writ Petition (Civil) No. 490 Of 2005; निर्णय के खिलाफ तर्क: संविधान अनुच्छेद 102 (1) में अयोग्यता के मानदंड को लागू करता है, इसमें लाभ का पद, असत्य मन का अतिक्रमण और नागरिकता शामिल है।
   यह लेख संसद को यह भी अधिकार देता है कि वह अयोग्यता के लिए किसी अन्य मानदंड को निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाए। संवैधानिक जनादेश के अनुसार, संसद ने धारा 8 में अयोग्य मानदंड का उल्लेख करते हुए, आरपीए 1951 लागू किया।
   सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दो कारण बताए:
   सबसे पहले, यह धारा 8 (4) को अनुच्छेद 102 के उल्लंघन के लिए और संविधान के राज्यों, अनुच्छेद 191 के लिए इसके संबंधित प्रावधान के तहत आयोजित किया गया। अनुच्छेद 102 का सावधानीपूर्वक पढ़ना संसद को एक कानून बनाकर अयोग्यता की कसौटी को परिभाषित करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 102 (1) के पांच खंडों में से कोई भी धारा 8 (4) को अमान्य करने के लिए आकर्षित नहीं होता है।
   दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 8 (4) को अधिनियमित करने के लिए संसद के पास कोई विधायी क्षमता नहीं थी। इस तर्क को भी स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि संविधान में 7 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 72 से सूची 1 में विशेष रूप से संसद को संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की अनुमति है। यह अच्छी तरह से तय है कि संविधान में विधायी प्रविष्टियों को व्यापक रूप से सीमित किया जाना है, और किसी भी मामले में संसद के पास प्रविष्टि 97 से सूची 1 के तहत कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति है ।
7. डॉ. कुरैशी एस.वाई., व्यक्तिगत साक्षात्कार, गुड़गांव, हरियाणा, 26/04/2016, दोपहर 1.30 बजे-दोपहर 2.30 बजे, पीटीआई के अनुसार ।
8. Ministry of Law and Justice, Government of India, Background Paper on Electoral Reforms, 2010, at https://lawmin.gov.in/documents/electoralreforms
9. Dr. Subramanian Swamy vs Election Commission of India, 2013 SC 9093, 406.
10. Ashok Shankarrao Chavan vs. Dr. Madhavrao Kinhalkar & Ors.AIR 2014 SC 5044, 5045, 5078

ग्रंथ सूची

1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) चुनावी सुधारों की सिफारिशें (अप्रैल, 2011); 4. द हिंदू, 27 सितंबर 2013.

2. (डॉ.) फाड़िया बी.एल., भारत सरकार और राजनीति (2013).
3. चुनावी सुधार रिपोर्ट, 2015.
4. चुनाव सुधारों पर भारत चुनाव आयोग का प्रस्ताव (जुलाई, 2004).
5. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, (RPA) 1951.
6. वर्नोन और डेविड बटलर, लोकतंत्र और चुनाव, कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, संस्करण- 1, 1983.
7. राष्ट्रीय आयोग, चुनाव की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र- कानून, प्रक्रियाएं और सुधार विकल्प, वॉल्यूम- 2, 481 (2002)
8. भारत में चुनाव और चुनाव सुधार हार्डकोर,पहला संस्करण (1 जुलाई, 1996) आईएसबीएन -13: 978-0706991277.
9. भारतीय विधि आयोग, भारत सरकार ।
10. http://policyblog.oxfordindiasociety.org.uk/2013/04/29/proposals-for-decrimina
11. https://lawmin.gov.in/documents/electoralreforms
12. https://indiankanoon.org/doc/158890876/